

198)

12/13/2017-डीपीडी  
भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2017

अधिसूचना

विषय: भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार दुकानदार प्रोत्साहन योजना का विस्तार।


जबकि, केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशित दिनांक 23 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12(84)/2017-डीपीडी के जरिए दुकानदारों द्वारा भीम आधार को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने और नागरिकों द्वारा डिजिटल लेनदेन में सहूलियत तथा भीम का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों की संख्या बढ़ाने और भीम आधार के इस्तेमाल के जरिए दुकानदारों द्वारा भुगतान लेनेदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार दुकानदार प्रोत्साहन नामक एक योजना अधिसूचित की थी।

और जबकि, केंद्र सरकार ने योजना की समीक्षा की है।

अब केंद्र सरकार एतद्वारा योजना के प्रचालन की अवधि में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है :-

पैराग्राफ 2.1 में किए गए प्रावधानों के लिए : उपर्युक्त पैराग्राफों के प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-

2.1 पैराग्राफ 2.1 - भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) आधार दुकानदार प्रोत्साहन योजना तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2018 तक चालू रहेगी।



(संजय कुमार राकेश)

संयुक्त सचिव